न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/6

1. गोगराज गुर्जर पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय उम्र 60 वर्ष कालवाड थाने के सामने गुर्जरों की ढाणी ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0।

—अपीलांट

बनाम

1. लालाराम गुर्जर पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय उम्र वयस्क
2. श्रीमती बोदी देवी पुत्री छोटू पत्नी श्री भंवर लाल गुर्जर उम्र 70 साल निवासी गुर्जरों की ढाणी ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0।
3. रामेश्वर गुर्जर पुत्र स्व0 श्रीमती प्रभाती देवी उम्र व्यस्क
   समस्त निवासी ग्राम धानका का मोहल्ला कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0।
4. श्रीमती गंगा देवी पुत्री स्व0 श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी बोदुराम उम्र व्यस्क निवासी बेगड रोड, बोराज जयपुर राज0 303338
5. तहसीलदार तहसील कालवाड जिला जयपुर ग्रामीण राज0।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर आदेश दिनांक 15.04.2024 बाबत् विरासत नामान्तरकरण 3484 दिनांक 07.12.2022 को अस्वीकार कर खारिज किया गया।

उपस्थित—

1. श्री जगदीश सैनी वकील अपीलान्ट
2. श्री अश्विनी शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—09.07.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 15.04.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर द्वारा ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 561, 571 एवं 572 के मृतक खातेदार स्व0 बरजी देवी पत्नी छोटू हिस्सा 1/2 की विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड द्वारा वारिसान् की रिपोर्ट के

अभाव में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामा0 संख्या 3483 दिनांक 07.12.2022 को खारिज करने के आदेश दिनांक 15.04.2024 को दिए गये।

2. तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट गोगराज गुर्जर पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 15.04.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.0749 है0, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.8726 है0 एवं खसरा नं. 572 रकबा 0.3794 है0 के मृतक खातेदार स्व0 बरजी देवी पत्नी छोटू हिस्सा 1/2 निहित है जो कि राजस्व रिकार्ड में आज दिनांक तक इन्द्राज चला आ रहा है। बरजी देवी का स्वर्गवास दिनांक 15.08.2010 को हो गया। मृतक खातेदार बरजी देवी के वारिसान में एक पुत्र भगवान सहाय, दो पुत्रियां बोदी देवी एवं प्रभाती देवी है। पुत्र भगवान सहाय की मृत्यु होने पर उनके दो पुत्र लालाराम एवं गोगराज है तथा पुत्री प्रभाती देवी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र रामेश्वर एवं मन्नाराम एवं पुत्री गंगादेवी है। मन्नाराम की मृत्यु होने पर उनकी पत्नि मिथलेश नाते चले जाने के कारण वारिस नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार बरजी देवी के वारिसान् खुले ओर हर परिचित की जानकारी में थे जिसके संबंध मे तहसीलदार द्वारा सही जानकारी नहीं प्राप्त कर बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामा0 संख्या 3483 दिनांक 07.12.2022 को खारिज कर दिया। मृतक खातेदार के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/3 अपीलांट का निहित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में मृतक खातेदार श्रीमती बरजी देवी के विरासत के संबंध में ना तो विधिवत् विधिक वारिसान की जांच की ना ही अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दिये जाने के अधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई दस्तावजी साक्ष्य लिये विधि विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने की भारी कानूनी भूल की हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर दिनांक 15.042024 को निरस्त कर प्राकृतिक वारिसान के नाम नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का समर्थन करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में मृतक खातेदार श्रीमती बरजी देवी के विरासत के संबंध में ना तो विधिवत् विधिक वारिसान की जांच की ना ही अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान

किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर दिनांक 15.042024 को निरस्त कर प्राकृतिक वारिसान के नाम नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित. में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार श्रीमती बरजी देवी पत्नी छोटू ग्राम कालवाड की विरासत को लेकर है। ग्राम कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 561, 571 एवं 572 के मृतक खातेदार स्व0 बरजी देवी पत्नी छोटू हिस्सा 1/2 की विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड द्वारा वारिसान् की रिपोर्ट के अभाव में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामा0 संख्या 3483 दिनांक 07.12.2022 को खारिज करने के आदेश दिनांक 15.04.2024 को दिए गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के प्रावधानों के तहत् तहसीलदार कालवाड द्वारा मृतक खातेदार श्रीमती बरजी देवी के विधिक वारिसान् के संबंध में उचित जॉच, तथ्यों एवं गवाहों के बयान/शपथ पत्र के संबंध में विधिअनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए थी किन्तु तहसीलदार कालवाड द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अस्पष्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुये एवं प्रभाती देवी के वारिसान् की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होने के अभाव में पूर्व में दर्ज नामा0 संख्या 3483 दिनांक 07.12.2022 को खारिज कर दिया गया। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में सजरा खानदान भी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मृतक प्रभाती देवी के वारिसान् का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार श्रीमती बरजी देवी के समस्त विधिक वारिसान् की पुनः विधिवत् रूप से जांच करते हुये प्रकरण को तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड का निर्णय दिनांक 15.04.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कालवाड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक खातेदार बरजी देवी पत्नी छोटू के विधिक वारिसान् की पुनः उचित जॉच कर विधिसम्मत् नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर